न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राज0)

अपील संख्याः— 12/139/2023 रजू दिनांकः 14.12.2023 रजि0 न0 2023/710

अपीलार्थीः—	प्रत्यर्थीः—
श्री हरद्वारीलाल, निवासी ई—30, भू—तल, प्रीत विहार, दिल्ली—110092	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) 301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 15.01.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 18.08.2023 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वॉंछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 15.01.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये प्रतिलिपि पत्र कमांक लो0सू0अ0/प्रथम अपील/2023/2290 दिनांक 27.12.2023 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 14.10.2023 में वर्णित प्रथम आवेदन दिनांक 18.08.2023 के परिप्रेक्ष्य में सूचना नहीं मिलने बाबत अवगत कराया गया है के संबंध में अनुरोध है कि प्रकरण में कार्यालय के पूर्व पत्रांक लो.सू.अ./आर.टी.आई/2023/2175 दिनांक 30.11.2023 के माध्यम से विनिश्चय कर कुल 02 पृष्ठीय सूचना प्रेषित की जा चुकी है, साथ ही अपीलार्थी को जरिये ई—मेल भी सूचित किया जा चुका है। तथापि प्रथम अपील के अनुसरण में पूर्व प्रेषित सूचना की छायाप्रति अपीार्थी को पुनः भिजवाई जा रही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को अपील का जवाब प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांक 2175 दिनांक 30.11.2023 के द्वारा भिजवाया जा चुका है। अपील अपीलर्थी खारिज किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 15.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)